

9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० संख्या-2/एम-28/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक /

डा० प्रकाश कुमार सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, माधोपुर, सदर प्रखण्ड, पटना को वित्त विभागीय संकल्प दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3(B) के आलोक में पदस्थापित संस्थान में अवस्थित नहीं होने के कारण परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं है। परन्तु डा० सिंह को मकान किराया भत्ता नियमावली, 1980 के नियम-4(B) (ii) में अनुमान्य दर से मकान किराया भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं राक्ष अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव
सरकार के

ज्ञापांक-2/एम-28/2026- 2014(2) पटना, दिनांक 14/8

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, पटना/कोषागार पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० प्रकाश कुमार सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोपुर, सदर प्रखण्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/8/2016
सरकार के अवर सचिव